

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं∘ 16]

नई विस्ती, शमिवार, अप्रैल 15, 1972 (चैत्र 26, 1894)

No. 16)

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 15, 1972 (CHAITRA 26, 1894)

इस भाग में भिन्न पृथ्ठ संस्था वी जाती है जिससे कि यह अलग संशतन के रूप में रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोहिस

(NOTICE)

 अंक	संख्या और तिथि	डारा बारी किया गया	विषय					
(Issue Ne.)	(No. and Date)	(Issued by)	(Subject)					
ì	2	3	4					

शून्य —NIL--

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्नों की प्रतिया प्रकाशन प्रथन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्न भेजने पर भेज दी जाएगी । मांग-पत्न प्रबन्धक के पास इन राजपत्नों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes, 21GI/72 (393)

विषय-स्ची								
भाग I——खंड 1──(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से	पृष्ठ	भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और(संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि						
सम्बन्धित अधिसूचनाएं	393	के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं भाग II— खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधि-सूचित विधिक नियम और आदेश भाग III— खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-	9					
जफसरा का नियुज्सपा, जयानास्या, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं भाग I— खंड 3 — रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों	603	सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च ग्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	497					
और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं भाग I खंड 4रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की	7	भाग III— खंड 2 - एकस्य कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस भाग III— खंड 3 - मुख्य आयुक्तों द्वारा या	127					
गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्तितयों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और धिनियम	535	उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधि- सूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें	33					
भाग IIखंड 2विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें .		र्णामिल हैं भाग 1V—गैर-सरकारी ध्यक्तियों और गैर-सरकारी	973					
भाग II—-खंड 3—-उपखंड(i)-—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रा- लयों और (संध-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों		संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें . पूरक संख्या 16 8 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह	75					
को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)		की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट 18 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृ्ह्यु सम्बन्धी आंकड़ें	647 657					
	CONTI							
PART I—Section 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	393	PART II—SECTION 3.—SUBSEC. (II)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	Page					
PART I—Section 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	603	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	497					
PART I—Section 3.—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	7	Part III—Section 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta Part III—Section 3.—Notifications issued by or	127					
PART I.—Section 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	635	under the authority of Chief Commissioners PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertise-	33					
PART II—Section 1.—Arts, Ordinances and Regulations		ments and Notices issued by Statutory Bodies Part IV—Advertisements and Notices by Private	973					
PART II—Section 3.—SubSec. (i)—General Statutory Rules (including orders, byc-laws		Judividuals and Private Bodies Supplement No. — Weekly epidemiological Reports for week ending	75 647					
etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).		Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 18 March, 1972	647 657					

भाग 1-खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनाक 20 मार्च 1972

स० 40-प्रेज/72—-राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्माकित अधिकारी को उसकी बीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

अधिकारी का नाम तथा पव

श्री महेश पाल सिह, उप निरीक्षक, 17वी बटालियन, सीमा सुरक्षा दल।

सेवाओं का विवरण जिनक लिए पदक प्रदान किया गया

2 अप्रैल, 1970 को उप निरीक्षक श्री महेश पाल सिंह को गश्त के दौरान यह सूचना मिली कि भारतीय क्षेत्र मे राइफलो से लैस कुछ पाकिस्तानी तस्करों के प्रवेश करने की सभावना है। श्री महेश पाल सिंह ने बाह्य चौकी में सहायता मगवाई तथा वह स्वय तस्करो पर घात लगाने के लिये आगे बढ़े। शाम के लगभग पाच बजे उन्होंने पाच ऊटो सहित पाच व्यक्तियों को, जिनमें से तीन राइफलों से लैस थे, लगभग 300 गज की दूरी पर रेत के टीसे पर देखा । आहमसर्म-पण के लिये श्री महेग पाल सिंह की ललकार से कुछ तस्कर आड़ में छिप गये जबिक दूसरो ने मोर्चा सभाला और मीमा सूरक्षा दल के गएती दस्ते पर गोली चला दी। श्री महेश पाल सिंह विचलित नही हए। उन्होने सीमा सुरक्षा दल के गश्नी दस्ते का पुनगर्ठन किया तथा उसे तीन टोलियो में अलग-अलग दिशाओं से तस्करों की ओर बहने के लिये तैनात किया । तस्करों ने पाकिस्तानी क्षेत्र में पून. प्रवेश करने का प्रयत्न किया कितु पाकिस्तानी रेजर्स ने उन्हे ऐसा नही करने दिया। फिर तस्करों ने सीमा सुरक्षा दल की ओर से भाग निकलने का प्रयत्न किया जिन्होंने जवाब में गोली चलाई और तस्करों के तीन ऊटों को मार दिया। तस्करों ने फिर बचकर पाकि-स्तान भागने का दुबारा प्रयत्न किया, जहा उनमें से दो को पावि-स्तानी रेजर्म ने गिरपतार कर लिया । शेष तस्कर फिर भारतीय क्षेत्र में घुस आये। एक तस्कर राइफल में लैंस किसी तरह से श्री महेश पाल सिंह के समीप आ पहुंचाऔर उसने उन पर गोली चलाई। श्री महेश पाल मिंह,निजी सुरक्षा की परवाह किये बिना, तस्कर को पन,राईफल भरने का मौका विय बिना उस पर ट्ट पडे और उस पर काबुपा लिया । इस प्रकार वे एक कुख्यात तस्कर को पकडने मे सफल हुए ।

पाकिस्तानी तस्करों के साथ इस मुठमेंड में श्री महेश पाल सिंह ने अपनी जीवन के लिये भारी खतरे के समक्ष उत्कृष्ट वीरता तथा निर्भोकता का परिचय दिया।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्लरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 2 अप्रैल, 1970 से दिया जायगा।

म० 41-प्रेज/72---राष्ट्रपति कलकत्ता पुलिस के निम्नािकत अधिकारी को उसकी वीरता के लिय पुलिस पदक प्रदान करते हैं:--

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अशोक कुमार माहा, मारजेट, वैनार विभाग, कलकत्ता पुलिस, पश्चिमी वगाल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पबक प्रवान किया गया।

24 जनवरी, 1971 को प्राप्त जब श्री अशोक कुमार साहा बिलियाधाट मेन रोड, कलकत्ता पर अपनी बेतार गाडी में गग्रत लगा रहे थे, तो उन्होंने समीप ही कुछ विस्फांटो की तेज आवाजे सुनी पूछ-ताछ करने पर एक राहगीर से यह मालूम हुआ कि बेलियाधाट क्षेत्र में सुभाष सरोवर के पास एक हिसक दगा हो रहा है। श्री साहा तुरस्त दगे वाले स्थान की ओर बढ़े। जैसे ही वह घटनास्थल पर पहुचे बदमाशों ने बमो तथा घातक हथियारों से उन पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने एक व्यक्ति के पास रिवाल्वर भी देखा। श्री साहा तुरस्त गाडी में उतरे और उन्होंने रिवाल्वर लेजाते हुए व्यक्ति को पकड लिया अन्य बदमाशों ने भी श्री माहा पर आक्रमण किया कितु वह विश्वलित नहीं हुए तथा उत्होंने बदमाश से पूरी तरह भरा हुआ रिवाल्वर छीन लिया। फिर श्री माहा ने अपने जवानों के साथ बदमाशों का पीछा किया।

इस घटना में श्री अशोक कुमार साहा ने महान साहम तथा कर्त्तन्यपरायणता का परिचाय दिया ।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत बीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्व रूप नियम 5 के अन्तर्गत विशोष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 24 जनवरी, 1971 से दिया जायगा।

सं० 42-प्रेज/72---राष्ट्रपति कलकत्ता पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं:--

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री मुकुल चन्द्र गांगुली, कांस्टेबल, जनरल मं० 13384, कलकत्ता पुलिस, पिचम बंगाल । श्री कांस्टेबल, जनरल मं० 9375, कलकत्ता पुलिस, पश्चिमी बंगाल । श्री जुल्फिकार खां, कांस्टेबल, जनरल सं० 12281, कलकत्ता पुलिस, पश्चिमी वंगाल । एपिचमी वंगाल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पढक प्रदान किया गया।

31 अक्टबर, 1970 को रात्रि के दस बजकर चालीस मिनट पर पुलिस को सूचना मिली कि रेल वैगन तोड़ने वाले कुछ व्यवति कर्या बाह्य-चौकी पर छापा मारने की योजना बना रहे हैं, और रेलवे लाइन के किनारे घात लगाये हुए है। सूचना प्राप्त होने पर एक पुलिस दल, जिसमे दूसरों के साथ-साथ कास्टेबल सबश्री मुकुल चन्द्र गांगुली, काशी नाथ राय तथा जुल्फिकार खा भी थे, छापामारों को पकड़ने के लिये करया बाह्य चौकी की ओर गया। वहां पर पहंच कर मादे कपड़ों में पुलिस दल ने कई स्थानों पर घात लगाई। उन्होंने कुछ समय तक प्रतीक्षा की, किंतु बदमाशों के संभावित आक्रमण का कोई सकेत न मिलने पर उन के सही स्थान का पता लगाने के लिये उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। रावि को लगभग 11 बजकर 40 मिनट पर पुलिस दल रेलवे लाइन पार करते हुए आगे बढ़ा । चार बदमाशो ने श्री मुकुल चन्द्र गांग्ली पर बड़े-बड़े छुरों से अचानक आक्रमण किया और एक बदमाण ने उन के पेट पर छरे से प्रहार किया, किंतु श्री गांगुली ने अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया । इसके फलस्वरूप श्री गांगुली जहमी हो गये । अपने घावो की परवाह न करते हुए श्री गांगुली ने अपना रिवाल्वर निकाला और बदनाशों पर गोली चलाई । अन्य बदमाश श्री काशी राय तथा श्री जल्फिकार खां पर आक्रमण करने के लिये बढ़े। उन बदमाणो में से दो ने लोहे की छड़ों से श्री काशी नाथ राय तथा जल्फिकार खां पर आक्रमण किया। श्री राय ने पहले टार्च-लाइट में बचाव किया। फिर उन्होंने अपना रिवाल्वर निकाल कर बदमाणों पर चार गोलियां चलाई। एक अन्य बदमाण श्री जिल्फकार खांकी ओर बढ़ा और उन पर घातक हथियार में आक्रमण किया। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री जुल्फिकार खां बदमाशों के बीच कद पड़े और अपने साथियों की जीवन रक्षा के लिये उन्होंने दो बार गोली चलाई। इन तीनों पुलिस अधिकारियों के बीरतापूर्ण कार्य के परिणाम-स्वरुप वैगन तोड़ने वालों के गिरोह के तीन सदस्य मारे गये।

इस घटन। में श्री मुकुल चन्द्र गागुली, श्री काणी नाथ राय तथा श्री जुल्फिकार खां ने उच्च कोटि का साहस, निष्ठा एवं कर्स्ट्य-परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक तियम।वली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष भत्ता स्वीकृति भत्ता भी दिनांक 31 अक्टूबर, 1970 से दिया जायगा।

सं० 43-प्रेज/72—**शुद्धिपक्ष** —िदनांक 29 जनवरी, 1972 के भारतीय राजपद्ध के भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित इस सचिव।लय की अधिमूचना सं० 6-प्रेज/72 दिनांक 26 जनवरी, 1972 में शुद्धि करने हेनू:—

पृष्ठ 101 पर, लाइन 35 वास्ते कुन्नुवर्णकोटम वेंकटेश्वरा वेंकट सुन्नह्यान्यम पढ़ें कुन्नुवर्णकोटाह वेंकटेश्वरा वेंकट सुन्नह्यान्यम

मं० 44-प्रेज/72—शुद्धिपत्त—दिनांक 27 मार्च, 1971 के भारतीय राजपत्त के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 22-प्रेज/71, दिनांक 16 मार्च, 1971 में पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाय:—

'ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप श्रीमांति लाल मलहोता, श्री राम लक्षमण यादव, श्री सोहन सिंह, श्री श्रीकिमन मर्मा तथा श्री हिम्मत सिंह को नियम 5 के अन्तर्गत विभोष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 अगस्त, 1969 में दिया जायगा।"

सं० 45-प्रेज/72---राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी बीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं:---

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री जीत नारायण प्रधान, सहायक कामांडेंट, मीमासुरक्षा दल अकादमी

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियम।वली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है।

मं० 46-प्रेज/72—-राष्ट्रपति निम्मांकित व्यक्तियों द्वारा प्रवर्णित अति असाधारण विशिष्ट सेवाओं के उपलक्ष्य में उनको "परम विशिष्ट सेवा मैंडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं।

मेजर जनरल रामधरमदास हीरा, एम० बी० सी० (आई० सी०-2531), गोरखा राइफल्स

मेजर जनरल बेंजामीन फेंक्लिन गुंसालवेज (आई० सी०-1884), आर्टिलरी

मेजर जनरल कोटिकालापूडी बेंकट कृष्णराय (आई० सी०-1164), महार

मेजर जनरल प्रचुर वेंकट रमनैया (एम० आर०~183), ए० एम० सी०

रियर एडमिरल वासुदेव अनन्त कामथ, आई० एन०

सं० 47-प्रेज/72—राष्ट्रपति निम्नाकित व्यक्तियो द्वारा प्रदर्शिक असाधारण विणिष्ट सेवाओ में उपलक्ष्य में उनको "अति विणिष्ट सेवा मैंडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :---

विगेडियर भूपिंदर मिह सन्ध् (आई० मी०-1588), राज-पूर्ताना राईफल्म

ब्रिगेष्टियर राजकुमार कालरा (आई० मी०-4205), इंजीनि-यर्स

ब्रिगेडियर राल्फ ट्रेवर मोर्रालन (आई० सी०-4045), सिख

कर्नल दिलीप कुमार मिन्ना (एम० आ्र-343), ए० एम० सी०।

म० 48-प्रेज/72—राष्ट्रपति निम्नाकित व्यक्तियो द्वारा प्रदर्शित असाधारण विशिष्ट सेवाओं के उपलक्ष्य में उनको ''अति विशिष्ट सेवा मैंडल'' प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं '——

क्रिगेडियर छण्ज् राम, बीर चक्र, (आई० सी०-1351), आटिलरी

क्रिगेडियर आदी मेहरजी सेठना (आई० सी०-522), राज-पूताना राईफल्म

ब्रिगेडियर अवतार सिंह मान (आई० सी०-1168), आर्टिलरी

त्रिगेडियर गुरजीत सिह रन्धावा (आई सी०-6066), सिख त्रिगेडियर विजय कुमार विनायक भिडे (आई० सी०-840), इजीनियर्स

त्रिगेडियर कृष्ण कुमार तिवारी (आई० सी०-520), सिग-नन्स

ब्रिगेडियर जगबीर सिंह नन्दा (आई० सी०-2925), सिगनल्स

क्रिगेडियर मंगापुरा चन्द्र शेखरन मैनन (आई० सी०-4713), गार्डस

क्रिगेडियर शामित्र नाथ सैन (आई० सी०-555), आर्टिलरी क्रिगेडियर चन्दरिबशनदाम अडवानी (आई० सी०-2581), आर्टिलरी

त्रिगेडियर शमशेर सिंह मलहोत्ना (आई० सी०-929), इफैट्री

ब्रिगेडियर ब्रिज मोहन बाली (आई० सी०-1454), इफैट्री ब्रिगेडियर हरबंस सिंह चोपड़ा (आई० मी०-1289), ए० एस० सी०

क्रिगेडियर भूपाल सिंह चाद, वीर चऋ, (आई० सी०-905), इफेंट्री

क्रिगेडियर वीरेद्र कुमार भट्टाचार्य, वी० एस० एम०, (आई० सी०-5699), इफैट्टी

ब्रिगेडियर प्रिभू मृलचंद भाटिया (आई० मी०-4642), इजीनियर्भ

ब्रिगेडियर मचिन्द्र नाथ मुकर्जी (ए.म० आर०-195), ए०एम०सी० ब्रिगेडियर ओमप्रकाश बोहरा (आई० मी०-2588), इंटेली-जेस कोर

ब्रिगेडियर बिकम चन्द (आई० मी०-955) आर्टिलरी ब्रिगेडियर दर्शन सिंह (आई० सी०-2064), ए० एस० मी० ब्रिगेडियर मनोहर मिंह (आई० मी०-987), आर्टिलरी ब्रिगेडियर हृदय कौल (आई० मी०-3941), आर्मेड कोर ब्रिगेडियर मदन मोहन सिंह बक्शी, एम० वी० सी० (आई० सी०-1697), आमर्ड कोर

ब्रिगेडियर मोहिदर सिह् (आई० सी०-4005), मद्रास ब्रिगेडियर मरदारी लाल जनेजा (आई० सी०-1888), सिगनल्सा

ब्रिगेडियर एडाथिल अम्बालावतन राममोहन, बी० एस० एम०, (आई० सी०-671), मद्रास

ब्रिगेडियर करतार सिंह कटारिया (आई० सी०-3593), कुमाऊं

ब्रिगेडियर हरभजन सिंह खुल्लर (आई० सी०-1549), पंजाब

बिगेडियर मदन मोहन लाल छावड़ा (आई० सी०-3915), ई० एम० ई०

त्रिगेडियर प्रेम सिह् (आई० सी०-10679), जम्मू कश्मीर राईफल्म

ब्रिगेडियर अवतार सिह (आई० सी०-2438), ऑटिलरी ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड ओवेन खडबंदा (आई० सी०-4689), गोरखा राईफल्स

ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चड्टा (आई० सी०-1195), बिहार

ब्रिगेडियर आरकिवाल्ड अनेस्ट जोसिफ (आई० सी०~4054), कुमाऊं

ब्रिगेडियर उजागर सिंह (आई० सी०-1664), गढ़वाल राई-फल्म

ब्रिगेडियर उत्तर मिह मिध (एम० आर०-253), ए० एम० मी०

ब्रिगेडियर किजाकाथिल प्रसाद चद्रन नायर (आई० सी०-1431), ए० एम० मी०

ब्रिगेडियर ओम प्रकाश विग (आई० मी०-3542), ए०
एस० मी०

ब्रिगेडियर राम चन्द्र विनायक आप्टे (आई० सी०-1909), आर्टिलरी

त्रिगेडियर प्राणनाथ कटपालिया (आई० सी०-4528), कुमाऊ

कमोडर एरक जमशेद देवु, आई० एन०

कमोडर थामम जैकब कुन्नेरकरिल, आई० एन०

कमोखर गीतम सिंह, आई० एन०

कमोडर इन्दर कुमार मल्होत्ना, आई० एन०

एयर कमोडोर जफर जहीर (3173), एफ (पी०)

एयर कमोडोर ज्ञान देव शर्मा (1742) एफ (पी०) एयर कमोडोर हरचरण सिंह बड्णी (2083), एडमिन एयर कमोडोर कोग्न्बि कुमार सिंघा (2361), ए० ई० (एम०)

एयर कमोडोर बावा सम्पूर्ण सिंह बेदी (1795), ए० ई० (एम०)

एयर कोमोडर अमृत लाल सैंगल (3608), ए० ई० (एम०) एयर कमोडोर चन्द्रकांत श्रीधर नाईक, बी० एस० एम०, (3499), ए० ई० (एम०)

एयर कमोडोर सोलोमन पुरुषोत्तम (1928), एफ० (पी०) एयर कमोडोर कंवर सिंह (2781), एफ० (पी०) एयर कमोडोर विलोचन सिंह बरार (2884), एफ० (पी०)

कर्नेल मेहताब सिंह खारा (आई० सी०-3975), इंटेलीर्जेस कोर

कर्नेल प्रकाण मोहन पसरीचा (आई० सी०-4719), इंटेली-जेंस कोर

कर्नल भूपिंदर सिंह (आई० सी०-2752), आर्टिलरी कर्नल गरूराज कृष्णराव ब्रुरली (आई० सी०-2717), आर्टिलरी

कर्नल हरबंस सिंह वेंस, एम० सी० (एम० आर०-515), ए० एम० सी०

कर्नल विलियम गोडन मिकयन (आई० सी०-774), आर्टिलरी

कर्नल आदर्श रतन (आई० सी०-4007), इंजीनियर्स कर्नल स्वरुप नाथ वांचू (एम० आर०-324), ए० एम० सी०

कर्नल बलवन्त सिंह (एम० आर०-459), ए० एम० सी०

कर्नल विश्वम्भर प्रताप रिखी (आई० सी०-9716), पायनियर्स

कर्नल करम सिंह (आई० सी०-1344), ए० ओ० सी०

कर्नल (मिस) हेर्जैल आईनेज वूलगर (एन०-1337), एम० एन० एस०

कर्नल बलवन्त सिंह (आई० सी०-1103), मद्रास

कैप्टन फांसिस लेजली फाजर, आई० एन०

कैप्टेन भालचन्त्र गनेश मधोलकर, आई एन०

कैप्टेन राजेन्द्र पाल खन्ना, आई० एन०

कप्टेन अराकल नारायन परमेण्यरम पिल्लै, आई० एन०

कप्टन नरेन्द्र भल्ला, आई० एन०

कप्टन ओस्कर स्टन्ले डासन, आई० एन०

कैंप्टेन मिहिर कुमार राय, आई० एन०

कैप्टेन जयपाल स्याल आई० एन०

कैप्टेन कटनगोलाथुर श्रीनिवासगोपाल, आई० **एस०** कैप्टेन कुमारन रामभद्र मेनन, वी० एस० एम०, आई० एन०

कैप्टेन रास बिहारी मुखर्जी, आई० एन० ऐक्टिंग कैप्टन मन्तोष कुमार सिन्हा, आई० एन० ऐक्टिंग कैप्टन पेट्रिक जेम्स वैरन, आई० एन० ग्रुप कैप्टन ईमोनल फरनान्डेज (3577), एफ० (पी०) ग्रुप कैप्टन कंवर इकबाल सिंह छाबड़ा (3831), (एफ०

ग्रुप कैप्टन प्रेम पाल सिंह, एम० वी० सी०,, (3871), एफ० (पी०)

ग्रुप कैप्टन अम्त देव दत्त (3789), ए० ई० (एम०)
ग्रुप कैप्टन गुरदियाल सिंह पूनिया (2134), एडिमन०
ग्रुप कैप्टन आग्ने लेजली माइकल (3416), एफ० (पी०)
ग्रुप कैप्टन रमेश चन्द्र जैन (3546), ए० ई० (एल०)
ग्रुप कैप्टन सिवामननयर केसवन नयर (3803), ए० ई० (एम०)

म्रुप कैप्टेन मोहन बवामी (3888), एफ० (एन०) कमांडर नेल्लरी पूजनकन्डी मुकुन्दन, आई० एन० विंग कमांडर विश्वनाथन कृष्णामूर्थि, बी० एम०, (4022), एफ० (पी०)

विंग कमांडर मोहिन्द्र सिंह बावा वी० एम० (4494), एफ० (पी०)

विंग कमांडर विष्वनाथ बालकृष्ण स्वरदेकर, कीर्ति चक, (4593), एफ० (पी०)

विंग कमांडर उपकार सिंह (4658), एफ० (पी०)

विंग कमांडर शिव प्रकाशन सभरवाल (4413), एफ० (पी०)

विंग कमांडर कृष्ण कुमार बधवार (4669), एफ० (पी०)

विंग कमांडर डोनल्ड मेलविन कानक्वेस्ट (4692), एफ० (पी०)

विंग कमांडर नबीन चन्द्र भर्मा (3731), एडमिन०

विंग कमांडर कैलाण चन्त्र खन्ना, वी० एम० (4722), एफ० (पी०)

विंग कमांडर कासी गोपाला राधाक्तृष्णन (4956), ए० ई० (एम०)

लेफ्टिनेंट कमांडर निनन जीवर्गीज, आई० एन०

सं० 49-प्रेज/72—-राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा प्रविश्वत असाधारण विशिष्ट सेवाओं के उपलक्ष्य में उनको "अति विशिष्ट सेवा मैंडन" का बार प्रदान करने का अनुमो-दन करते हैं:---

कमोडोर गारनैट मिल्टन शे, ए० वी० एस० एम०, आई० एन० कमोडोर विविन एरिक चार्ल्स बरबोजा, ए० वी० پر एस० एम०, आई० एन०

एयर कमोडोर सुरिन्द्र सिंह, ए० वी० एम० एम०, (3009), एफ० (पी०)

एयर कमोडोर कृष्ण मोहन राम, ए० बी० एम० एम०, (3101), एफ० पी०

सं० 50-प्रेज/72—-राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्ति को उसके द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्ट वीरता के लिये कीर्ति चक्र प्रदान करने का सहर्षे अनुमोदन करते हैं:--

मेजर सचिन्द्र कुमार गर्मा (आई० सी०-17191) कोर आफ इंजीनियर्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 5 विसम्बर 1971)

5 दिसम्बर, 1971 को मेजर सचिन्द्र कुमार शर्मा को पिश्चमी सेक्टर में मनावाला गांव के समीप पड़े हुए तीन अनफटे वमों का प्यूज निकालने का कार्य सौंपा गया। प्रारम्भिक जांच के लिये बमों के निकट पहुंचते ही उनमें से एक बम अपने आप फट गया जिस से यह स्पष्ट हो गया कि बमों में देरी से फटने वाले प्यूज लगे हैं। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे और बमों की जांच की और प्यूज और उसके बनाबट की जांच करने के उद्देश्य से उसमें से एक बम का प्यूज स्वयं अपने हाथों से निकाला। इसके बाद उन्होंने बमों के अप्रभावीकरण एवं निस्तारण का कार्य स्वयं अपनी निगरानी में कराया।

इस कार्येनाही में मेजर सचिन्द्र कुमार शर्मा ने अनुकरणीय साहस एव कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

दिनांक 22 मार्च 1972

शुद्धिपन्न

सं० 51-प्रेज/72—-बुधवार, दिनांक 26 जनवरी, 1972 के असाधारण भारतीय राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 4-प्रेज/72 दिनांक 26 जनवरी, 1972 में गुद्धि करने हेतु :--

पद्म भूषण के अन्तर्गत

वास्ते : ''श्री माधवरायजी खडेराय बागल, समाज सेवक, महाराष्ट्''

पढ़ें: "श्री माधवराव खडेराव बागल, समाज सेवक, महाराष्ट्"

वास्ते: "श्री एम० बी० रामचन्द्र राव, भूगोलिक शास्त्री (ज्योफिसिस्ट), भूतपूर्व सदस्य तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून"

पढ़ें: "श्री मंदगेरे भारहाज रामचन्द्र राव, भूगोलिक शास्त्री, भूतपूर्व सदस्य, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून"

वास्ते : ''श्री पापनाशम् रमय्या शिवन्, संगीतकार, तमिलनाडू''

पढ़ें : ''श्री पापनाशम् शिवन्, संगीतकार, तिमलनाडुं'

वास्ते : "श्री पोथन फिलिप, पत्नकार, महाराष्ट्र"

पढ़ें : "श्री कयालथ पोथन फिलिप, पत्नकार, मह।राष्ट्र"

वास्ते : ''श्री विनायकवुषा पटवर्धन, संगीतकार, महाराष्ट्र''

पढ़ें : "पंडित विनायकराव पटवर्धन, संगीतकार, महाराष्ट्र"

पद्मा श्री के अन्तर्गत

वास्ते: "श्री बादल सरकार, नाटककार, कलकत्ता"

पढ़ें: "श्री सुधीन्द्र सरकार (बादल सरकार), नाटककार, कलकत्ता"

वास्ते : "श्री भीमसेन जोशी, संगीतकार, पूना, महाराष्ट्र"

पढ़ें: ''श्री भिमसेन गुरुराज जोशी, संगीतकार, पूना महाराष्ट्''

वास्ते : "डा० डोरोथी वुडवर्ष डूनिंग चाको (श्रीमती सी० जोसफ चाको), फिजीशियन, गस्नौर, हरियाणा"

पढ़ें: "डा० डोरोथी डिनंग चाको (श्रीमती सी० जे० चाको), फिजिशियन, गन्नौर, हरयाणा"

वास्ते : "श्री कृष्ण रेष्ट्री, चित्रकार, वांवे, फांस"

पढें: "श्री नारायण कृष्ण रेड्डी, चिल्लकार, वांबे, फ्रांस"

वास्ते : ''श्री लालगुडी जयरामन, वायलनवायक, तमिलनाडु''

पढ़ें: "श्री लालगुडि गोपालाय्यर जयरामन, वायलन-वादक, तमिलनाडु"

वास्ते : "डा० (कुमारी) मेरी वर्षीस, वैस्लोर के किश्चियन मैडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल में फिजिकल मैडिसन एण्ड रिहैब्लीटेशन की प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष"

पढ़ें: "डा० (कुमारी) मेरी पुशुसेरिल वर्षीस, वैलोर के ऋषिचयन मैडीकल कालेज एण्ड हास्पिटल में फिजिकल मैडिसन एण्ड रिहैबिलीटेशन की प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष"

वास्ते : "श्री मोहन लाल चौरड़िया, उद्योगपति, तमिलनाडु"

पढ़ें: "श्री मोहनमल चोरड़िया उद्योगपित, तिमलनाडु"

वास्ते : "श्री मद्दले पोन्नुस्वामी णिवज्ञानम्, साहित्य तमिलनाडु"

पढ़ें: "श्री मैलापुर पोन्तुस्वामि शिवज्ञानम्, साहित्य मर्मेज्ञ, तमिलनाडु"

वास्ते : "डा० (श्रीमती) वत्सला सीमान्त चौधरी, चिकित्सा अधीक्षक, कमला नेहरू स्मारक अस्पताल, इलाहाबाद"

पहें: "डा० (श्रीमती) वत्सला सामन्त चौधरी, चिकित्सा अधीक्षक, कमला नेहरू स्मारक अस्पताल, इलाहाबाव"

वास्ते : ''श्री वाजुबूर भाग्यलक्ष्मी रमैया पिलै, नृत्य अध्यापक, तमिलनाडुं'

पढ़ें : ''श्री वजबूर भाग्यम रमैया पिलै, नृत्य अध्यापक, तमिलनाडुं' वास्ते "श्री विद्यानाथ लगर, मुख्याध्यापक, मास्टर टाणी नाग्याल अकादमी, गगटोक '

पढे ''श्री विश्वेश्वर नाथ लगर, मुख्याध्यापक, ताशी नग्याल अकादमी, गगटोक''

नागेन्द्र सिह, राष्ट्रपति के सचिव

राज्य समा सिववालय

नई दिल्ली, दिनाक 28 मार्च 1972

स० आर० एस० 18/72-टी०—-बिहार राज्य का प्रतिनि-धित्व करने वाले राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य, श्री अब्धुल क्युस अन्सारी ने 19 मार्च 1972 से राज्य सभा में अपना स्थान त्याग दिया है।

बी० एन० बनर्जी सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग लोक सुचना

नई दिल्ली, दिनाक 8 मार्च 1972

स० एफ० 22/4/69-पतिका (प्रशासन)—हिंदी भाषी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को एल एल० बी० कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों और निर्देश पुस्तकों के रूप में उपयोग के लिये तथा हिंदी भाषी क्षेत्रों के न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने वाले विधिज्ञों के उपयोग के लिये हिंदी भाषा में मानक विधि पुस्तकों के लेखन, अनुवाद और प्रकाशन के लिये एक योजना भारत सरकार, विधि और न्याय मन्नालय, विधायी विभाग, के सकल्प संख्या एफ० 22/4/69-प विका (प्रशासन) तारीख 10 फरवरी, 1972 के अधीन घोषित की गई थी।

- 2 इस लोक सूचना में उक्त स्कीम के पैरा 2 में उल्लिखित तीन मुख्य बातों में से प्रत्येक के सबध में अनुदेश, निबंधन और शतें वर्णित की गई हैं।
 - (1) हिंदी भाषा में लिखी गई सर्वोत्तम विधि पुस्तकों के लिये पुरस्वार दिया जाना, या तो वे किसी कलेडर वर्ष म प्रकाशित हो चुकी हो अथवा जिनका प्रका-शित किया जाना प्रस्थापित हो।
 - (।) प्रत्येक कलेडर वर्ष मे विधि की प्रत्येक शाखा के लिये साधारणतः एक पुरस्कार आरक्षित होगाऔर बहुदस हजार ६० की रकम होगा। परन्तु,सरकार के साथ सविदा के अन-

नरपु, सर्पार्यक्ष साथ सायदा के अनुस् सरण में लिखी गई पुस्तके अथवा अनुवाद के लिये किसी सरकारी-स्कीम के अधीन लिखी गई पुस्तके पुरस्कार के लिये पात नहीं होगी।

(॥) पुस्तक का लेखक, चाहे वह पुस्तक पाडुलिपि
के रूप में हो अथवा मुद्रित हो चुकी हो, उसकी
ग्यारह प्रतियां ऐसी तारीख तक जो इस प्रयोजन के लिये विनिद्धिष्ट की जायेंगी, नई
दिल्ली में भारत सरकार के विधि और न्याय
मतालय के विधायी विभाग के सचिव को
प्रस्तुत करेगा। उस तारीख के बाद प्रस्तुत

- की जाने वाली पुस्तक अथवा पाङ्क्लिर्पिया उस वर्ष में पुरस्कार के लिये विचारार्थ स्कीकार नहीं की जायेगी ।
- (111) सरकार स्वप्नेरणा पर किसी भी पुस्तक को पुरस्कार के लिये विचारार्थ सम्मिलित कर सकेगी।
- (iv) पुस्तक/पाडुलिपि का लेखक उसमें अपनाप्रति-लिप्याधिकार खोये बिना अपनी पुस्तक पुर-स्कार के लिये विचारार्थ प्रस्तुत करने का हक-दार होगा।
- (v) केवल ऐसी पुस्तको/पाडुलिपियो पर ही वि-धार किया जायगा जो उस वर्ष के पूर्ववर्ती कलेडर वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई हो अथवा लिखी गई हो जिसमे पुरस्कार दिये जाने के लिये विचारार्थ पुस्तके/पांडुलिपिया प्रस्तुत करने के लिये कोई तारीख विनिर्दिष्ट की गई है।
- (vi) जिन पुस्तको/पांडुलिपियो पर पुरस्कार के लिये एक बार विचार कर लिया गया है उन पर पण्नातवर्ती वर्षों के दौरान पुरस्कार के लिये विचार नहीं किया जायगा।
- (vii) किसी कलें डर वर्ष के दौरान पुरस्कार दिये जाने के लिये पुस्तको का चयन भारत सरकार के विधि और न्याय मह्मालय (विधायी विभाग) के तारीखा 1 मार्च, 1972 के सकरूप सख्या एफ 22/4/69-पत्निका (प्र-शासन), के अनुसार गठित मूल्यांकन समिति (जिसे इस लोक सूचना में एतस्मिनपश्चात् ''मुल्याकन समिति'' के रूप में निर्दिष्ट किया जायगा) द्वारा इस निमित्त की गई सिफा-रिशो के आधार पर किया जायगा । अपनी सिफारिशो को अतिम रूप देने से पूर्व म्ल्यांकन समिति विनिर्दिष्ट तारीख के बाद यथासभव अल्प-काल में पुस्तको/पाडुलिपियो का मृल्याकन अपने ही किसी सदस्य से अथवा ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति से जिसे मूल्यांकन ममिति ऐसी पुस्तक/पाण्डुलिपि मे प्रतिपादित विषय का विशेषज्ञ समझे अथवा किसी ऐसी अन्य रीति से पूरा करायगी जैसी कि समिति अपने द्वारा अपने कार्य करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त समझे।
- (viii) यदि किसी वर्ष मे, मूल्याकन समिति द्वारा कोई भी पुस्तक पुरस्कार दिये जाने के योग्य अधिनिर्णीत नहीं की जाती है तो कोई पुर-स्कार नहीं दिया जायगा । तथापि, भारत मरकार, मूल्याकन समिति की सलाह पर उन लेखकी में किसी को अथवा सभी को,

जो पुस्तकें/पाण्डुलिपियां प्रस्तुत करें, इस प्रकार प्रस्तुत की गई पुस्तकें अथवा पुस्तकों की गुणवत्ता, विषयवस्तु और साहित्यिक उत्तमता के आधार पर, सौत्यना पुरस्कार के तौर पर कोई रक्षम वे सकेगी परन्तु विधि की किसी भी एक शाखा में पुस्तकों/पाण्डु-लिपियों के लिये विये गये पुरस्कारों की कुल रक्षम पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

- (2) चुने हुए लेखकों द्वारा संविदा के आधार पर, चुने हुए विषयों पर हिंदी भाषा में मौलिक विधि पुस्तकें लिख-वाने के लिये विशेष समनुदेशन।
 - (i) विधि और न्याय मंत्रालय के लिये हिंदी सलाहकार समिति उन उपयुक्त लेखकों का चयन करेगी और उनके नामों की सिफारिश करेगी जिन्हों चुने हुए विषयों पर, संविदा के आधार पर, हिंदी भाषा में मौलिक पुस्तकों लिखवाने के लिये भारत सरकार द्वारा विशेष समनुदेशन किया जा सकेगा । मूल्यांकन समिति, विधि और न्याय मंत्रालय के लिये हिंदी सलाहकार समिति को ऐसे सक्षम लेखकों के चयन में आवश्यक सहायता और सलाह प्रदान करेगी जिन्हों चुने हुए विषयों पर, संविदा के आधार पर, हिंदी में मौलिक विधि पुस्तकों लिखने के लिये विशेष समनुदेशन किया जा सके।
 - (ii) ऐसे विशेष समनुदेशन के लिये केवल ऐसे व्यक्तियों के बारे में ही विचार किया जायगा जिन्हें
 - (क) हिंदी भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो; और
 - (ख) किसी विश्वविद्यालय के विधि महा-विद्यालय अथवा किसी संबद्ध विधि महाविद्यालय में उस विशिष्ट विषय के पढ़ाने का यथेष्ट अनुभव हो जिस पर हिंदी में मौलिक विधि पुस्तक लिखने की उससे अपेक्षा की जा सकती है;

अथना

न्यायाधीश के रूप में अथवा भारत सर-कार में अथवा किसी राज्य सरकार में विधिक अथवा विधायी कार्य में नि-योजित अधिकारी के रूप में अनु-भव हो,

अथवा

वकालत का यथेष्ट अनुभव हो ।

(iii) हिंदी में मौलिक विधि पुस्तक लिखने के लिये विशेष समनुदेशन के लिये चुने गये किसी व्यक्ति से उस मुसंगत विषय पर उस विहित समय-सीमा के भीतर, जो विषय की प्रकृति के

- अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है, पुस्तक लिखने के लिये भारत सरकार से करार करने की अपेक्षा की जायगी। समय-सीमा भारत सरकार द्वारा अपने विवेकानुसार बढ़ाई जा सकेगी।
- (iv) ऐसे विशेष समनुदेशन के अधीन लिखी गई पुस्तकों की पाण्डुलिपियों का मृत्यांकन-समिति द्वारा मृत्यांकन किया जायगा और भारत सरकार द्वारा उस कृति की स्वीकृति मृत्यांकन कन समिति द्वारा उस कृति को समाधानप्रद अधिनिणींत किये जाने के अध्यधीन होगी।
- (v) विशेष समनुदेशन के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो कि लेखक द्वारा भारत सर-कार के साथ किये गये करार मे नियत की जायें।
- (3) ऐसी चुनी हुई विधि पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद कराना जो अपने प्रतिपादित विषय पर गौरव अंश बन गई हैं।
 - (i) मूल्यांकन-सिमिति की सिफारिशों के आधार पर
 ऐसी विधि पुस्तकों हिंदी में अनुवाद के
 लिये चुनी जायेंगी जो अपने में प्रतिपादित
 विषय पर गौरव अंश के स्तर की हो गई है।
 - (ii) मूल्यांकन-सिमिति ऐसे उपयुक्त व्यक्तियों का भी चयन और उनकी सिफारिश करेगी जिन्हें चुनी हुई विधि पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद करने के कार्य का समनुदेशन किया जा सके। केवल ऐसे व्यक्ति ही ऐसे समनुदेशन के लिये विभार किये जाने के लियेपात होंगे जिनके पास विधि संबंधी उत्तम उपाधि हो, जिन्हें सुसंगत विधि पुस्तक में प्रतिपादित विषय का बोध हो, जिन्हें हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान हो और जिन्हें विधि साहित्य का हिंदी में अनुवाद करने का सथेष्ट अनुभव हो।
 - (iii) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से, जो ऐसी किसी भी पुस्तक का अनुवाद करने के लिये चुना जाय और उसके लिये रजामन्द हो, उस पुस्तक को विहित समय-सीमा में अनुवाद करने के लिये भारत सरकार से करार करने की अपेक्षा की जायगी। समय-सीमा भारत सरकार द्वारा अपने विवेकानुसार बढ़ाई जा सकेगी।
 - (iv) संबंधित व्यक्तियों द्वारा किये गये अनुवादों की पाण्डुलिपियो का मृल्यांकन-समिति द्वारा मृल्यांकन किया जायगा और भारत सरकार द्वारा उस अनुवाद की स्वीकृति मृल्यांकन-समिति द्वारा उस अनुवाद को समाधान-प्रद अधिनिर्णीत किये जाने के अध्यधीन होगी।

 (v) अन्य निबन्धन और शर्ते अनुवादक द्वारा भारत सरकार के साथ किये गये करार में नियत की जायेंगी।

न० के० सेठ, अवर सचिव

ओद्यौगिक विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 1972

सं० 58/2/71-टो०डी०—आविष्कार संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली की शासकीय परिषद् जिसका गठन औद्योगिक विकास और समवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० 10(4)/68-एस० एस० आई०(ii) दिनांक 19-12-68 (समय समय पर यथा संशोधित) के द्वारा किया गया था, का कार्यकाल एतब्द्वारा 30 अप्रैल, 1972 तक बढ़ाया जाता है।

सं० 58/2/71-टी०डी०—भारत सरकार आविष्कार सं-वर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के ज्ञापन और नियमों एवं विनियमों के नियम 32 द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० 10(4)/67-एस० एस० आई० (बी०) दिनांक 19 दिसम्बर, 1968 के अधीन गठित किये गये आविष्कार संवर्धन बोर्ड की शासकीय परिषद् के उपाध्यक्ष पद पर संयुक्त सचिव श्री आविद हुसैन के स्थान पर एनद्वारा श्री जे० सी० जेटली, निदेशक, औद्योगिक विकास मंत्रालय को नियुक्त करती है।

आर० बी० माथुर, अवर सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय संस्कृति विभाग

नई दिल्ली.-1, दिनांक 19 फरवरी 1972

(संकल्प सं० एफ ०6-41/68 आई० एल० 2 दि० मई, 1969 का गुद्धि पत्र)

सं० एफ० 15-4/72 एल० 1—शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में प्रो० नुरुल हसन की, जी तरवकी, ए उर्दू बोर्ड के भी सदस्य थे, नियुक्ति के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति में इस प्रकार हुई रिक्ति को श्री एम० रहमानी को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति करने से भरी जाती है। तदनुसार निम्नलिखित शिद्धित जारी किया जाता है:—

(क) संकल्प के पैरा-4 में संरचना र्षार्थ के अन्तर्गत ऋम मं० (1) (5) और (7) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्मलिखित पढ़ा जाय:--

क्रम सं० (1) शिक्षा मंत्री और उनकी अनुपस्थिति मे राज्य मंत्री, शिक्षा विभाग

क्रम सं० (5) निवेशक,

केंद्रीय हिन्दी निदेशालय,

पश्चिमी ब्लाक-7 रामाकृष्णापुरम, नई दिल्ली-22।

क्रम सं० 6 श्री एम० रहमानी, अमीर-ए-शरीयत,

बिहार तथा उई सा, खान कुंआ मोंगोर ।

(ख) पैरा 4 के अन्तर्गत निम्नलिखिन नई प्रविष्टि और जोड़ें:--ऋम सं० (17) प्रो० अख्तार अहमद, औरनवी,

उर्द् विभागाध्यक्ष,

पटना विश्वविद्यालय,

पटना-5

(ग) पैरा 5 को निम्निषित रूप से पढ़ा जाय:--नर्क्का-ए-उर्दु बोर्ड की आपूर्ति केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा की जायकी।

संकल्प की अन्य सभी विषयवस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

आवेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियां तरक्की-ए-उर्दु बोर्ड के सभी सदस्यों को, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, सभी कुलपितयों को निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपित सचिवालय, और सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालय और विभागों को भेज दी जायें।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्न में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

एस० के० चतुर्वेदी, उप-सचिव

(समाज कल्याण विभाग) संकल्प

नई दिल्ली-1, दिनांक 28 मार्च 1972

मं० एफ० 1-46/69-एस० डबल्०-3--केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (कंपनी), अर्थात बोर्ड के अध्यक्ष, साधारण निकाय के सदस्यों तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 31 मार्च, 1972 तक, जिसमें वह तिथि भी मामिल, निष्चित करने वाले समाज कल्याण विभाग के संकल्प संख्या एफ० 1-46/69 एस० डबल्०-3 दिनांक 16 फरवरी 1970 के अनुक्रम में भारत सरकार कंपनी के एसोसियेशन के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड अथवा "बोर्ड" के अध्यक्ष, साधारण निकाय के सदस्यों तथा कार्य समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 अप्रैल, 1972 से 30 जून, 1972 तक, जिसमें वह तिथि भी शामिल है, 3 मास की अवधि के लिये बढ़ाने का सहर्ष निर्णय करती है।

आवेश

आदेश किया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखिस की प्रेपित की जाय:---

- 1. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सब सदस्य
- 2. सब राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र ।
- 3. भारत सरकार के सब मंत्रालय/विभाग ।
- 4. राष्ट्रपति सचिवालय ।
- 5. मंद्रो मंडल सचिवालय ।
- वोजना आयोग ।
- 7. लोक सभा/राज्य सभा/प्रधान मंत्री सचिवालय ।
- प्रेस सूचना ब्यूरो ।
- 9. केंद्रीय राजस्य के महालेखाकार, नई दिल्ली।
- 10. कंपनी-कार्य विभाग।
- 11. कंपनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली।
- 12. क्षेत्रीय निदेशक, कंपनी कानून बोर्ड, कानपूर्।
- सचिव, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली (50 अतिरिक्त प्रतिलिपियों सहित)।

14. राज्य समाज कल्याण मलाहकार बोर्डी के सब अध्यक्ष ।

ं आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को साधारण जानकारी के लिये भारत के राजपन्न में प्रकाणित किया जाय।

टि० सु० ना० स्वामी, अवर सचिव

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 1972

सं० 1-37/71 स्कूल-4—राष्ट्रीय णिक्षा अनुसंधान और प्रणिक्षण परिषद् नियमों (अभी तक यथा संगोधित) के नियम 7 और 8 के उपबन्धों के साथ पढ़े जाने वाले उप नियम 3(4) और 3(7) के उपबन्धों के अनुसरण में और अपनी अधिसूचना सं० 1-37/71 स्कूल-4 दिनांक 31 दिसम्बर, 1971 का प्रसंग जारी रखते हुए भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के सदस्यों की सदस्यता की अविध 30-6-1972 तक सहर्ष बढ़ाती है।

नियम 3(4)

- (1) डा॰ के॰ एल॰ श्रीमाली उप कुलपति बनारस हिंदु विश्वविद्यालय वाराणसी
- (2) प्रो० एस० एन० सेन उपकुलपति कलकता विश्वविद्यालय कलकता।
- (3) श्री एन० डी० मुन्दरचडिवेलु उपकुलपति मद्रास विश्वविद्यालय मद्रास ।
- (4) श्रीमित शारदा दीवान उपकुलपति एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय 1,नथीबाई थैकरसी मार्ग,बम्बई-20 (बी०आर०)

नियम 3(7)

- (1) श्री भक्त दर्शन 15 गुरुद्वारा रकाब गंज रोड, नई दिल्ली।
- (2) श्री एच० नर्रासमहैया, प्रधानाचार्य नेणनल कालेज, बंगलीर
- (3) श्री आई० जे० पटेल सम्पर्ण डी०-4 गुलबाई का ठेकरस अहमदाबाद
- (4) श्री एस०पी० वर्मा जन शिक्षा निदेशक मध्य प्रदेश, भोपाल

- (5) प्रो० रईस अहमद
 भौतिक विद्यान के प्रधान
 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
- (6) श्री डी० आर० फटनगारे थामबरे भवन कोपर गांव जिला अहमद नगर महाराष्ट्र
- (7) श्री एस० वी० चित्तीबाब् स्कूल शिक्षा निदेशक तमिलनाडु मद्रास-6
- (8) कुमारी कें० पसरीचा प्रधानाचार्य कन्या महाविद्यालय जालन्धर शहर
- (9) डा० डी० एन० गोखन डेकन णिक्षा संस्थान न्युइगलिश स्कूल तिलक मार्ग, पूना-9
- (10) डा० के० कुरेबिला जेकब प्रधानाचार्य केथेड्स तथा जाहन केनल स्कृल 6-ओटराम रोड बम्बई
- (11) श्री अब्दुल गनी साह्य 429 पी० आर० स्ट्रीट मुस्लिम पुरा बनीयामवादी जिला नार्थ आरकोट, तमिलनाडु
- (12) श्री कें ० सुकुमारन शिक्षा अधिकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन नेहरू भवन बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली ।

र्के ० के ० बक्शी, अवर समिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 1972 संकल्प

सं० एफ० 13-2/71-आई० एन० सी०--भारत सरकार मंकल्प सं० एफ० 13-2/71-आई० एन० सी० दिनांक 2 जुलाई, 1971 द्वारा संशोधित भारत सरकार के संकल्प सं० एफ० 39-1/66-आई० एन सी० दिनांक 7 अक्तूबर, 1969 में अधिसूचित यूनेस्को के साथ सहयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय आयोग के संविधान में निम्निलिखत संशोधन करती हैं:---

I. धारा III-पवाधिकारी

मौजूदा पैराग्राफ (क) के स्थान पर यह प्रतिस्थापित करें :——
"(क) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री, आयोग के अध्यक्ष होंगे। वह आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। शिक्षा और समाज कत्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष कं। अनुपस्थिति में आयोग की बैठकों की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही के उपस्थित न होने पर, उपस्थित सदस्यों में से, आयोग प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता के लिये सभापित का चयन करेगा"।

II. धारा V-सवस्य

- (i) प्राकृतिक विज्ञाम उप-आयोग
- 1. क्रमांक (6) के बाद यह जोड़ वें :
 - "(7) विज्ञान तथा शिल्प-विज्ञान विभाग का एक नामित"
 - 2. फिरसे नम्बर दें

कमाक (7) से (12) तक के स्थान पर कमांक (8) से (13)"

- (it) मांस्कृतिक कार्यक्लाप तथा मानविकी उप-आयोग
- 1 ऋमाक (5) के बाद यह जोड़ दें :---
 - (6) विदेश मंद्रालय का एक नामित।
 - (7) संस्कृति विभाग का एक नामित।
 - 2 फिर से नम्बर दें

क्रमाक "(6) से (10)" के स्थान पर "(8) से (12)" III. नई धारा शामिल करें—"विषय निर्वाचन समिति"। नई धारा को इस प्रकार पढेंगे:——

"विषय निर्वाचन—सिनितः आयोग के प्रबध के लिये तथा आयोग की परियोजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की जाच रखते के लिये 'विषय निर्वाचन—सिनित' होगी जो प्रायः जरूरत पड़ने पर बैठेंगी परन्तु दो महीनों में कम से कम एक बार अवश्य बैठेंगी। इसके निम्निलिखित सदस्य होंगे:—

- (1) आयोग का अध्यक्ष, जो समिति का सभापति होगा।
- (2) आयोग का उपाध्यक्ष जो, समिति का उप-सभापति होगा।
- (3) आयोग का महा सचिव ।
- (4) यदि कोई हो तो युनेस्को, कार्यकारी परिषद का भारतीय सदस्य।
- (5) विज्ञान तथा शिल्प-विज्ञान विभाग का एक प्रतिनिधि।
- (6) सस्कृति विभाग का एक प्रतिनिधि ।
- (7) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।
- (8) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में यूनेस्को प्रभाग का इंचार्ज संयुक्त सचिव।
- (9) पाचों उप-आयोगों मे से प्रत्येक का सभापति । से

(13)

(14) आयोग का मचिव जो समिति का पदेन सचिव होगा।

समिति की बैठकों की अध्यक्षता सभापित अथवा उनकी अनु-पस्थिति में उप-सभापित करेगे। सभापित तथा उप-सभापित दोनों की अनुपस्थिति में प्रत्येक बैठक के लिये समिति अपना सभापित चयन करेगी। 2 फिरसेनम्बरदें:

धारा "VI—समितिया" तथा धारा VII बैठके" के स्थार्ग पर कमग्र: धारा "VII—सिमितिया" तथा धारा "VIII—बैठकें लिखें ।

आदेश विया जाता है कि इस सकल्प की प्रतिलिपिया युनेस्को के साथ सहयोग हेनु भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सभी व्यवितयो तथा संस्थात्मक सदस्यों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागो सभी राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों, योजना आयोग, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, प्रधान मेत्री सचिवालय और राष्ट्रपति सचिवालय को भेजी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन साधारण की सूचना के लिये भारत के राजपक्ष में प्रकाणित किया जाय।

त० रा० जयरामन संयुक्त सिचव, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्राखय

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली दिनांक 29 मार्च 1972

सं० डी० डबलु० दो-34 (2)/71—सिचाई और बहुदेशीय परियोजनाओं के लागत-प्राक्कलनों में सगोधन होकर बार-बार वृद्धि होने के कारणों का वैज्ञानिक अन्वेषण करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति के गठन से संबंधित इस मंत्रालय के संकल्प सं० डी० डबलू०-दो०-34(2)/71 दिनांकित 25 जनवरी, 1972 के पैरा 2 में क्रम संख्या 10 पर की मौजूदा प्रविष्टि "एक बिख्यात अर्थ-शास्त्री-सदस्य" के स्थान पर निम्नलिखित रखी जायगी :---

"डा० केः० वेणुगोपाल, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्रीय अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली—सदस्य"

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्न में भाग एक, खंड एक मे प्रकाशित किया जाय ।

यह आदेश भी दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागो, सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त अर्थ शास्त्रीय अनु-संधान परिषद् और समिति के अध्यक्ष/सदस्यो को भेज दी जाय।

्आनंद स्वरूप शर्मा, संयुक्त सचिव

अम और पुनर्वास मंत्रालय (अम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली दिनाक 24 मार्च 1972

सं क्यू ०-16011(3)/71-डब्ल्यू ०ई० — केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 8 के अनुसरण में भारत सरकार एतद्द्वारा श्री के० डी० हजेला, उप सचिब, श्रम और पुन-बिस मंत्रालय को, 20 मार्च, 1971 से श्री पी० सी० मिश्र, उप सचिब, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के स्थान पर केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के बोर्ड आफ गर्वर्नेस के सदस्य के रूप में नामित करती है। सं वयू०-16011(3)/71-डब्ल्यू० ई०--फेब्रीय श्रमि-शिक्षा, बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 4(iii) और (ii) के साथ पढ़े गये नियम 3(ख) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्व द्वारा श्री के० डी० हजेला, उप सचिव, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय को 20 मार्च, 1972 से श्री पी० सी० मिश्र, उप सचिव, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के स्थान पर केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

2. तदनुसार, 20 दिसम्बर, 1958/29 अग्रहायण, 1880 के भारत के राजपत्न के भाग 1 खंड 1 में प्रकाशित श्रम और रोजगार मजालय की, समय समय पर यथा-संशोधित, अधिसूचना संख्या ई० ऐंड पी०-4(24)/58 दिनांक 12 दिसम्बर, 1958 में

निम्नलिखित परिवर्तन किये जाये :---

वर्तमान प्रविष्टि .---

"1. श्री पी० सी० मिश्र, उप सचिव,

> श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, नई दिल्ली ।''

के लिये निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए :--

"1. श्री कें ० डी० हजेला, उप सचिव, श्रम और पुनर्वास मन्नालय, नई दिल्ली।"

हंस राज छाबड़ा, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 20th March 1972

No. 40-Pres./72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force:—

Name and rank of the officer Shri Mahesh Pal Singh, Sub-Inspector, 17th Battalion, Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 2nd April, 1970, while patrolling, Shri Mahesh Pal Singh, Sub-Inspector, received information that some Pak smugglers armed with rifles were likely to enter Indian territory. Shri Mahesh Pal Singh sent for assistance from the outpost and he himself proceeded to way-lay the smugglers. At about 1700 hrs, they saw five persons, three of them armed with filles with five camels on a sand dune at a distance of about 300 yards. On being challenged by Shri Mahesh Pal Singh to surrender, some of the smugglers took cover while others took position and fired on the Border Security Force patrol. Shri Mahesh Pal Singh remained undeterred. He re-organised the Border Security Force patrol and deployed his party in three groups to advance towards the smugglers from three different directions. The smugglers tried to re-enter the Pakistan territory but they were not allowed to do so by the Pak rangers. The smugglers then tried to break through the Border Security Force patrol, who returned the fire and fatally injured three camels of the smugglers. The smugglers then made another bid to escape to Pakistan where two of them were arrested by the Pak rangers. The remaining smugglers re-entered the Indian territory. One of them armed with tifle managed to reach close to Shri Mahesh Pal Singh and fired at him. Shri Mahesh Pal Singh, in disregard of his personal safety, pounced upon the smuggler without giving the latter a chance to re-load his weapon, and over-powered him. He thus succeeded in apprehending a notorious smuggler.

In this encounter with the Pakistani smugglers Shri Mahesh Pal Singh displayed conspicuous gallantry and fear-lessness in the face of grave danger to his own life,

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rule governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd April, 1970.

No. 41-P.es./72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Calcutta Police:—

Name and rank of the officer Shri Asok Kumar Saha, Sergeant, Wireless Department, Calcutta Police, West Bengal. Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the morning of 24th of January, 1971, while patrolling in his Wineless Van on Beliaghata Main Road, Calcutta, Shri Asok Kumar Saha heard loud reports of some explosions in the vicinity. On an enquiry from a passer-by, it was gathered that a violent disturbance was going on near Subhas Sarobar in Beliaghata area. Shri Saha immediately proceeded towards the spot of disturbance. As he reached the spot, he was attacked by the miscreants with bombs and other lethal weapons. He also saw one man carrying a revolver. Shri Saha rushed out of his van and caught hold of the person carrying the revolver. Other miscreants also attacked Shri Saha, but he remained undeterred and snatched away the fully loaded revolver from the miscreant. Then Shri Saha, with his men, chased the miscreants.

In this incident, Shri Asok Kumar Saha displayed great courage and devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th January, 1971.

No. 42/Pres./72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Calcutta Police:—

Names and ranks of the officers Shri Mukul Chandra Ganguly, Constable, General No. 13384, Calculta Police, West Bengal, Shri Kasi Nath Roy,

Shri Kasi Nath Roy, Constable, General No. 9375, Calcutta Police, West Bengal.

Shri Zulfikar Khan, Constable, General No. 12821. Calcutta Police, West Bengal.

Statement of services for which the decoration has been awarded,

On 31st October, 1970, information was received by the police at 10.40 p.m. that some wagon breakers were planning to raid the Karya outpost and were lying in wait by the side of the railway track. On receipt of this information, police party, consisting of, amongst others, S/Shri Mukul Chandra Ganguly, Kasi Nath Roy and Zulfikar Khan, Constables, proceeded to Karya outpost to round-up the raiders. On reaching the outpost, the plain clothes police party lay in ambush at various points. They waited for some time but as there were no indications of the anticipated attack by the miscreants, they decided to advance in order to locate the exact position of the miscreants. At about 11.40 p.m., the police party crossed the railway track and advanced further. Suddenly, Shri Mukul Chandra Ganguly was attacked by four miscreants with large daggers and one of the miscreants gave a dagger blow at his abdomen but Shri Ganguly put his hand on his abdomen. As a result of this, Shri Ganguly was

injured. In disregard of his injuries, Shri Ganguly drew out his revolver and fired at the miscreants. Other miscreants advanced to attack Shri Kasi Nath Roy and Shri Zulfikar Khan. Two of these miscreants attacked them with iron rods. Shri Roy first resisted with the help of a torch light. He then drew out his revolver and fired four rounds at the miscreants. Another miscreant advanced towards Shri Zulfikar Khan and attacked him with a deadly weapon. But Shri Zulfikar Khan, in disregard of his own safety, jumped in the midst of the miscreants and fired twice for the protection of the lives of his colleagues. As a result of the gallant action of these three police officers, three members of the gang of wagon breakers were killed.

In this incident, Shri Mukul Chandra Ganguly, Shri Kasi Nath Roy and Shri Zulfikar Khan displayed courage, determination and devotion to duty of a very high order.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 31st October, 1970.

No. 43-Pres./72—Corrigendum—In this Secretariat Notification No. 6-Pres./72, dated the 26th January, 1972, published in Part I Section 1, of the Gazette of India dated the 29th January, 1972:—

On page 129, Line 51

For Kunnuvarnkottam Venkateswara Venkata Subrahmanyam,

Read Kunnuvarankottah Venkateswara Venkata Subrahmanyam.

No. 44-Pres./72—Corrigendum—In this Secretariat Notification No. 22-Pres./71, dated the 16th March, 1971, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, dated 27th March, 1971, the following may be read in place of para 2 at p. 380:—

"These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently in the cases of Shri Shanti Lal Malhotra, Shri Ram Lachhman Yadav, Shri Sohan Singh, Shri Shrikishan Sharma and Shri Himmat Singh, the awards carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 22nd August 1969."

No. 45-Pres./72.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force:—

Name and rank of the officer

Shri Jit Narayan Pradhan,

Assistant Commandant,

Border Security Force Academy.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal.

No. 46-Pres./72.—The President is pleased to approve the award of the Param Vishisht Seva Medal to the undermentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order:—

Major General Ram Dharamdas Hira MVC (IC-2531), Gorkha Rifles.

Major General Benjamin Franklin Gonsalves (IC-1884), Artillery.

Major General Kotikalapudi Venkata Krishnarao (IC-1164), Mahar.

Major General Prature Vankata Ramaniah (MR-183), AMC.

Rear Admiral Vasudeva Anant Kamath, I.N.

No. 47-Pres./72.—The President is pleased to approve the award of the Ati Vishisht Seva Medal to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order:—

Brigadier Bhupinder Singh Sandhu (IC-1588), Rajpulana Rifles.

Brigadier Raj Kumar Kalra (IC-4205), Engineers, Brigadier Ralph Trevor Morlin (IC-4045), Sikh. Colonel Dalip Kumar Mitra (MR-343), ACM.

No. 48-Pres./72.—The President is pleased to approve the award of the Ati Vishisht Seva Medal to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order:—

Brigadier Chhajju Ram, Vr.C (IC-1351), Artillery.

Brigadier Adi Meherji Sethna (IC-522), Rajputana Rifles.

Brigadier Avtar Singh Mann (IC-1168), Artillery.

Brigadier Gutjit Singh Randhawa (IC-6066), Sikh.

Brigadier Vijay Kumar Vinayak Bhide (IC-840), Engineers,

Brigadier Krishen Kumar Tewari (IC-520), Signals.

Brigadier Jagbir Singh Nanda (IC-2025) Signals,

Brigadier Mangapura Chandra Sekharan Menon (IC-4713), Guards.

Brigadier Shamindra Nath Sen (IC-555), Artillery,

Brigadier Chander Vishindas Advaney (IC-2581), Artillery.

Brigadier Shamsher Singh Malhotra (IC-929), Infantry.

Brigadier Brij Mohan Bali (IC-1454), Infantry.

Brigadier Harbans Singh Chopra (IC-1289), A.S.C.

Brigadier Bhupal Singh Chand, Vr.C (IC-905), Infantry.

Brigadier Birendra Kumar Bhattacharya, VSM (IC-5699), Infantry.

Brigadier Pribhoo Moolchand Bhatla (IC-4642), Engineers,

Brigadier Sachindra Nath Mukerji (MR195), A.M.C.

Brigadier Om Prakash Vohra (IC-2588), Intelligence Corps.

Brigadier Bikram Chand (IC-955), Artillery.

Brigadier Darshan Singh (IC-2064), A.S.C.

Brigadier Manohar Singh (IC-987), Artillery,

Brigadier Hridaya Kaul (IC-3941), Armoured Corps.

Brigadier Madan Mohan Singh Bakshi, MVC (IC-1697), Armoured Corps.

Brigadier Mohinder Singh (IC-4005), Madras,

Brigadier Sardari Lal Juneja (IC-1888), Signals.

Brigadier Edathil Ambbalavattan Rammohan, VSM (IC-671), Madras.

Brigadier Kartar Singh Kataria (IC-3593), Kumaon.

Brigadier Harbhajan Singh Kullar (IC-1549). Punjab.

Brigadier Madan Mohan Lal Chhabra (IC-3915), E.M.E.

Brigadier Prem Singh (1C-10679), J & K Rifles.

Brigadier Avtar Singh (IC-2438), Artillery,

Brigadier Reginald Owen Kharbanda (IC-4689), G.R.

Brigadier Kuldip Singh Chadha (IC-1195), Bihar.

Brigadier Archibald Ernest Joseph (IC-4054), Kumaon.

Brigadier Ujjagar Singh (IC-1664), Garhwal Rifles.

Brigadier Uttam Singh Sidhu (MR-253), A.M.C.

Brigadier Kizhakkathil Prasad Chandran Nair (IC-1431), A.S.C.

Brigadier Om Prakash Vig (IC-3542), A.S.C.

Brigadier Ram Chandra Vinayak Apte (IC-1909), Artillery.

Brigadier Pran Nath Kathpalia (IC-4528). Kumaon.

Commodore Erach Jamshed Debu, I.N.

Commodore Thomas Jacob Kunnenkeril, I.N.

Commodore Gautam Singh, I.N.

Commodore Inder Kumar Malhotra, I.N.

Air Commodore Jafar Zaheer (3173) F(P).

Air Commodore Gian Dev Sharma (1742) F(P).

Air Commodore Harcharan Singh Bakshi (2083) ADM. Air Commodore Gorindra Kumar Singha (2361), AE(M).

Air Commodore Bawa Sampuran Singh Bedi (1795) AE(M).

Air Commodore Amrit Lal Saigal (3608) AE(M).

Air Commodore Chandrakant Shridhar Naik, VSM (3499) AE(M).

Air Commodore Solomon Purushotham (1928), F(P).

Air Commodore Kanvar Singh (2781) F(P).

Air Commodore Trilochan Singh Brar (2884) F(P). Colonel Mehtab Singh Khara (IC-3975), Intelligence Corps.

Colonel Prakash Mohan Pasricha (IC-4719), Intelligence Corps.

Colonel Bhupinder Singh (IC-2752). Artillery,

Colonel Gururaj Krishnarao Burli (IC-2717), Artillery.

Colonel Harbans Singh Bains, MC (MR-515), AMC.

Colonel William Gordon Mc Kean (IC-774), Artillery.

Colonel Adarsh Rattan (IC-4007), Engineers,

Colonel Swaroop Nath Wanchoo (MR-324), AMC.

Colonel Balwant Singh (MR-459), AMC.

Colonel Bishambhar Pratap Rikhye (IC-9716), Pioneers.

Colonel Karam Singh (IC-1344), A.O.C.

Colonel (Miss) Hazel Inez Woolger (N-1337), M.N.S.

Colonel Balwant Singh (IC-1103), Madras.

Captain Francis Leslie Frascr. I.N.

Captain Bhalchandra Ganesh Mudholkar, I.N.

Captain Rajendra Pall Khanna, I.N.

Captain Arakal Narayana Parameshwaram Pillai, I.N.

Captain Narendra Bhalla, I.N.

Captain Oscar Stanely Dawson, I.N.

Captain Mehir Kumar Roy, I.N.

Captain Jai Paul Syal, I.N.

Captain Catangolathur Srinivasagopal, I.N.

Captain Kumaran Ramabhadra Menon, VSM, I.N.

Captain Rash Behari Mukherjee, I.N.

Acting Captain Santosh Kumar Sinha, I.N.

Acting Captain Patrick James Darron, I.N.

Group Captain Emanuel Fernandes (3577), F(P).

Group Captain Kanwar Iqbal Singh Chhabra (3831) F(N).

Group Captain Prem Pal Singh, MVC, (3871) F(P).

Group Captain Amrit Dev Datt (3789) AE(M).

Group Captain Gurdial Singh Punia, (2134) ADM.

Group Captain Aubrey Leslie Michael (3416) F(P).

Group Captain Ramesh Chander Jain (3546) AE(L),

Group Captain Sivaramannair Kesavan Nair (3803) AE(M).

Group Captain Mohan Badami (3888) F(N).

Commander Nellari Poozankandi Mukundan I.N.

Wing Commander Vishwanathan Krishnamurthy, VM (4022) F(P).

Wing Commander Mohinder Singh Bawa, VM (4494) F(P).

Wing Commander Vishwanath Balkrishna Sawardekar, KC(4593) F(P).

Wing Commander Upkar Singh (4658) F(P),

Wing Commander Shiv Prakash Sabharwal (4413) F(P).

Wing Commander Krishan Kumar Badhwar (4669) F(P).

Wing Commander Donald Melvyn Conquest (4692)

F(P).

Wing Commander Navin Chandra Bharma (3731) ADM. Wing Commander Kailash Chandra Khanna, VM (4722) F(P).

Wing Commander Kasi Gopala Radhakrishnan (4956) AE(M).

Lieutenant Commander Ninen Geeverghese, I.N.

No. 49-Pres./72.—The President is pleased to approve the award of the Bar to the Ati Vishisht Seva Medal for distinguished service of an exceptional order to:—

Commodore Garnet Milton Shea AVSM, I.N.

Commodore Vivian Eric Charles Barboza, AVSM, I.N.

Air Commodore Surinder Singh, AVSM (3009) F(P).

Air Commodore Krishan Mohan Ram, AVSM (3101) F(P).

No. 50-Pres./72.—The President is pleased to approve the award of the KIRTI CHAKRA for act of conspicuous gallantry to:—

Major SACHINDRA KUMAR SHARMA (IC-17191), The Corps of Engineers,

(Effective date of award-5th December, 1971)

On the 5th December 1971 Major Sachindra Kumar Sharma was ordered to defuze three enexploded bombs lying in the area of village Mannawala in the Western Sector. While approaching the location of the bombs, for the purpose of initial reconnaissance, one of the bombs exploded by itself indicating that the bombs were fitted with long delay fuzes. Disregarding his personal safety, he reached the site and inspected the bombs and defuzed one of them with his own hands to carry out study of the fuze and its mechanism. Thereafter, he personally supervised the neutralisation and disposal of the bombs.

Throughout this operation, Major Sachindra Kumar Sharma displayed exemplary courage and devotion to duty.

The 22nd March 1972

No. 51-Pics./72.—Corrigendum—In this Secretariat Notification No. 4-Pres./72, dated the 26th January, 1972, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I. Section 1, on Wednesday, the 26th January, 1972:—

Under PADMA BHUSHAN

For "Shri Madhavaravaji Khanderao Bagal Social Worker, Maharashtra."

Read "Shri Madhavrao Khanderao Bagal, Social Worker, Maharashtra."

For "Shri M. B. Ramachandra Rao, Geophysicist, Formerly Member, Oil and Natural Gas Commission. Dehradun,"

Read "Shri Mandagere Bharadwaj Ramachandra Rao.

Gcophysicist, Formerly Member, Oil and Natural Gas Commission, Dehradun."

For "Shri Papanasam Ramayya Sivan, Musician, Tamil

Read "Shri Papanasam Siyan, Musician, Tamil Nadu."

For "Shri Pothen Philip, Journalist Maharashtra."

Read "Shri Kayalath Pothen Philip, Journalist, Mahanashtra."

- For "Shri Vinayakbuwa Patwardhan, Musician, Maharashtra."
- Read "Pandit Vinayakrao Patwardhan, Muscian, Maha-

Under PADMA SHRI

- For "Shri Badal Sarkar, Playwright, Calcutta."
- Read "Shri Sudhindra Sarkar (Badal Sarkar), Playwright, Calcutta."
- For "Shri Bhim Sen Joshi, Musician, Poona, Maha-rashtra."
- Read "Shri Bhimsen Gururaj Joshi, Musician, Poona, Maharashtra.
- For "Dr. (Mrs.) Dorothy Woodworth Dunning Chacko, (Mrs. C. Joseph Chacko), Physician Gannaur, Haryana."
- Read "Dr. (Mrs.) Dorothy Dunning Chacko (Mrs. C. J. Chacko), Physician, Gannaur, Haryana."
- For "Shri Krishna Reddy, Painter, Vanves, France."
- Read "Shii Narayan Krishna Reddy, Painter, Vanes, France."
- For "Shri Lalgudi Jayaraman, Violinist, Tamil Nadu."
- Read "Shri Lalgudi Gopalaiyer Jayaraman, Violinist, Tamil Nadu."
- For "Dr. (Miss) Mary Varghese, Professor and Head of the Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Christian Medical College and Hospital, Vellor."
- Read "Dr. (Miss) Mary Puthusseril Varghese, Professor and Head of the Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Christian Medical College and Hospital, Vellore."
- For "Shri Mohanlal Chordia, Industrialist, Tamil Nadu."
- Read "Shri Mohanmull Chordia, Industrialist, Tamil Nadu."
- For "Shri Mylai Ponnuswamy Sivagnanam, Litterateur, Tamil Nadu."
- Read "Shri Mylapore Ponnuswamy Sivagnanam, Litterateur, Tamil Nadu."
- For "Dr. (Shrimati) Vatsala Seeman Choudhury, Madical Superintendent, Kamla Nehru Memorial Hospital, Allahabad,"
- For "Dr. (Shrimati) Vatsala Seemant Choudhury, Medical cal_Superintendent, Kamla Nehru Memorial Hospital, Allahabad."
- For "Shri Vazhuvoor Bhagyalakshmi Ramaih Pillai, Dance Teacher, Tamil Nadu."
- Read "Shri Vazhuvoor Bhagyam Ramaiyya Pillai, Dance Teacher, Tamil Nadu."
- For "Shri Vidya Nath Langer, Principal, Sir Tashi Namgyal Academy, Gangtok (Sikkim)."
- Read "Shri Vishveshwar Nath Langer, Principal Tashi Namgyal Academy, Gangtok (Sikkim)"
 - NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 28th March 1972

No. RS.18/72-T.—Shri Abdul Qaiyum Ansari, an elected Member of Rajya Sabha representing the State of Bihar, has resigned his seat in the Rajya Sabha with effect from the 19th March, 1972.

B. N. BANERJEE, Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 8th March 1972

PUBLIC NOTICE

No. F.22/4/69-IL(Adm.).—A Scheme for the writting, translation and publication of standard law books in Hindi language for use as text books or reference books in the LLB. Classes

- of the Universities of the Hindi-speaking areas and for the use of lawyers practising in Law courts in the Hindi-speaking areas was announced under the Government of India, Ministry of I aw & Justice, Legislative Department Resolution No. F.22-4/69JL(A), dated the 10th February, 1972.
- 2. This Public Notice sets out the instructions, terms and conditions pertaining to each of the three main features mentioned in para 2 of the said Scheme.
- (1) Award of prizes for the best law books written in Hindi language and either already published or proposed to be published in any calendar year.
 - In each calendar year, there shall ordinarily be one prize reserved for each branch of law and it shall be an amount of Rupees Ten Thousand;
 - Provided that books written in pursuance of a contract with the Government or written under any Government Scheme for translation shall not be eligible for the award of prize.
 - (ii) The author of the book whether the book be in manuscript or already printed shall submit eleven copies thereof to the Secretary, Legislative Department, Ministry of I aw & Justice, Government of India, New Delhi by a date which will be specified for the purpose. Books or manuscripts submitted after that date shall not be accepted for consideration for award of prize in that year.
 - (iii) The Government may on its own include for consideration any book for the award of the prize.
 - (iv) The author of the book/manuscript will be entitled to submit his book for being considered for the award of the prize without thereby losing his copyright therein.
 - (v) Only such books/manuscripts published or written during any calendar year preceding the year in which a date is specified for submission of books/manuscript for consideration for award of prizes, shall be considered.
 - (vi) Books/manuscripts once considered for award shall not be considered for the awards during subsequent years.
 - (vii) The books for the award of prizes during any calendar year shall be selected on the basis of the recommendations made in this behalf by the Evaluation Committee constituted in terms of Government of India, Ministry of Law & Justice (Legislative Department) Resolution No. F. 22/4/69-JL(A), dated the 1st March, 1972 (hereinafter referred to as "the Evaluation Committee" in this Public Notice). Before finalising its recommendations, the Evaluation Committee shall get the evaluation of the books/ manuscripts completed within as short a time as possible after the specified date by one of its own members or by any other person who is considered by the Fvaluation Committee to be an expert on the subject dealt with in such book/manuscript or in any other manner as the Committee may deem fit in accordance with the procedure devised by the Committee for its functioning.
 - (viii) If in any year, no book is adjudged by the Evaluation Committee to qualify for the award of prize, no prize shall be awarded. However, the Government of India may on the advice of the Evaluation Committee award to any or to all of the authors who submit books/ manuscripts an amount by way of consolation prize on the basis of the quality, content and literary excellence of the book or books so submitted, provided that the total amount of consolation prizes awarded for books/manuscripts in any one branch of law shall not exceed Rupees Five Thousand.
- (2) Special assignments for getting original law books written in Hindi language on selected subjects by selected authors on contract basis.
 - (i) The Hindi Advisory Committee for the Ministry of Law & Justice shall select and recommend the names of suitable authors who may be given special assignments by the Government of India for getting original law books written in the Hindi language on selected

subjects on contract basis. The Evaluation Committee shall render the necessary assistance and advice to the Hindi Advisory Committee for the Ministry of Law & Justice in the selection of such competent authors who may be given special assignments on contract basis for writing original law books in Hindi on selected subjects.

- (ii) Only such person shall be considered for such special assignments who possess:
 - (a) a sufficient knowledge of the Hindi language;
 - (b) adequate experience of teaching in a university law college or an affiliated law college in the particular subject on which he may be required to write an original law book in Hindi

От

experience as a judge or as an officer engaged in legal or legislative business in the Government of India or in a State Government

Or

adequate experience at the Bar.

- (iii) A person selected for special assignment for writing an original law book in Hindi shall be required to enter into an Agreement with the Government of India for writing the book on the relevant subject within a prescribed time-limit which may vary according to the nature of the subject. The time-limit may be extended by the Government of India at its discretion
- (iv) The manuscripts of the books written under such special assignments shall be evaluated by the Evaluation Committee and acceptance of the work by the Government of India shall be subject to the same being adjudged as satisfactory by the Evaluation Committee
- (v) The other terms and conditions of the special assignment shall be as stipulated in the agreement entered into by the author with the Government of India.
- 3 Getting selected law books which have acquired the status of classics on the subjects dealt with therein translated in the Hindi language
 - (1) Law books which have acquired the status of classics on the subject dealt with therein shall be selected for translation into Hindi on the basis of the recommendations of the Evaluation Committee,
 - (ii) The Extuation Committee shall also select and recommend suitable persons who may be assigned the task of translating the selected law books in Hindi language. Only such persons who hold a good degree in law, who have acquaintance with the subject dealt with in the relevant law books, who have good knowledge of Hindi language and who posess adequate experience of translation of legal literature in Hindi, shall be eligible for consideration for such assignments.
 - (iii) Every person who is selected and willing to undertake the work of translation of any such book shall be required to enter into an agreement with the Government of India for translating the book within a prescribed time-limit. The time limit may be extended by the Government of India at its discretion.
 - (iv) The manuscripts of the translations done by the persons concerned shall be evaluated by the Evaluation Committee and the accentance of the translation by the Government of India shall be subject to the translation being adjudged as satisfactory by the Evaluation Committee.
 - (v) The other terms and conditions shall be as stipulated in the Agreement entered into by the Translator with the Government of India

N K. SETH, Under Secy

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 10th February 1972

No. 58/2/71-TD.—The tenure of the Governing Council of Inventions Promotion Board, New Delhi which was construted vide Ministry of Industrial Development & Company Affairs (Department of Industrial Development) Notification No. 10(4)/67-SSI(B), dated 19-12-1968 (as amended from time to time) is hereby extended till 30th April, 1972.

No 58/2/71-TD.—In exercise of the powers vested under Rule 32 of the Memorandum and Rules & Regulations of the Inventions Promotion Board, New Delhi, the Government of India hereby appoint Shri J. C. Jetli, Director in the Ministry of Industrial Development as Vice President in place of Shri Abid Hussain, Joint Secretary in the Governing Council of Inventions Promotion Board constituted under this Ministry's Notification No. 10(4)/67-SSI(B) dated the 19th December, 1968

R. B. MATHUR, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE (Department of Culture)

New Delhi-1, the 19th February 1972

(Corrigendum to Resolution No. F. 6-41/69-IL.II, date. May, 1969)

No I 15-4/72-L.I.—Consequent upon the appointment of Prof. Nurul Hasan as Minister of State in the Ministry of Education & Social Welfarc, who was also a member of the Tarraqui-e-Urdu Board, the vacancy caused by his appointment as such is filled by appointing Shri M. Rahmani as a Member of the Board. The following corrigendum is accordingly issued:

(a) Under the heading 'Composition', in para 4 of the Resolution for the existing entries against Sl. No. (i) (v) & (vii) substitute the following:—

Serial No. (i)—Education Minister and in his absence Minister of State Department of Education.

Serial No. (v)—Director, Central Hindi Directorate, West Block-7, Ramakrishna Puram, New Delhi-22.

Setial No. (vii)—Shri M. Rahmani, Amir-e-Shariat, Bihar and Orissa Khanquah, Monghyr.

(b) Add the following new entry under para 4:

Serial No. (xvii)—Prof. Akhtar Ahmed, Orainvi, Head of the Deptt. of Urdu, Patna University, Patna-5.

(c) Para 5 may read as follows:

"The Tarraqui-e-Urdu Board will be serviced by the Central Hindi Directorate, Ministry of Education & Social Welfare."

All other contents of the Resolution remain unchanged.

ORDER

ORDIRED that copies of the Resolution be communicated to all members of the Tarraquie-Urdu Board Chairman, University Grants Commission, New Delhi, all Vice-Chancellors, Director, Central Hindi Directorate, Prime Minister's Sectt., Deptt, of Parliamentary Affairs Lok Sabha Sectt., Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, President's Sectt. and all State Govts., Ministries and Deptts, of the Government of India.

Ordiner also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

S. K. CHATURVEDI, Dy Secs

(Department of Social Welfare)

New Delhi-1, the 28th March 1972

RESOLUTION

No. F1-46/69.SW.3—In continuation of the Department of Social Welfare Resolution No F.1-46/69-SW.3, dated the 16th February, 1970 fixing the term of the office of the Board namely the Chairman, members of the General Body and members of the Executive Committee of the Central Social Welfare Board (Company), till and including the 31st March

1972. the Government of India have been pleased to decide that subject to the provisions of Article 7 of the Articles of Association of the Company the term of the office of the Board, namely, the Chairman of the Board, members of the General Body and the Executive Committee of the Board be extended for a period of three months commencing from 1st April, 1972 till and including the 30th June 1972.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to:

- 1. All the members of the Central Social Welfare Board
- 2. All the State Governments/Union Territories,
- 3. All the Ministries/Departments of Government of India,
- 4. President's Secretariat,
- 5 Cabinet Secretariat.
- 6. Planning Commission,
- 7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat/P.M's Sectt.
- 8 Press Information Bureau.
- 9, A.G.C.R., New Delhi,
- 10. Department of Company Affairs.
- 11. Registrar of Companies, New Delhi.
- 12. Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
- 13. Secretary, Central Social Welfare Board, New Delhi.
- 14. All Chairmen, State Social Welfare Advisory Boards.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. S. N. SWAMI, Under Secy.

(Department of Education)

New Delhi, the 29th March 1972

No. F.1-37/71-Schools.4.—In accordance with the provisions of sub-Rule 3(iv) and Sub-Rule 3(vii) read with the provisions of Rules 7 and 8 of the Rules (as amended to date) of National Council of Educational Research & Training and in continuation of their notification No. F.1-37/71-Schools-4, dated the 31st December, 1971 the Government of India are pleased to extend the term of members of the National Council of Educational Research & Training upto 30-6-72.

Rules 3(iv)

- Dr. K. L. Shrimali, Vice-Chancellor, Banaras Hindu University, Varanasi.
- 2. Prof. S. N. Sen, Vice-Chancellor, Calcutta University, Calcutta,
- Shri N. D. Sundaravadivelu, Vice-Chancellor, Madras University, Madras.
- Smt. Sharda Diwan, Vice-Chancellor S.N.D.T. Women's University, 1, Nathibai Thackersey Road, Bombay 20 BR.

Rule 3(VII)

- Shri Bhakt Darshan, 15, Gurdwara Rakabganj Road. New Delhi.
- Sh. H. Narasimhaiah, Principal, The National College, Bangalore-4.
- Sh. I. J. Patel, 'Samarpan' D.4. Gulabai's Tokras, Ahmedabad-6.
- 4. Sh. S. P. Verma, Director of Public Instruction, Madhya Pradesh, Bhopal.
- Prof. Rais Ahmed, Head of the Deptt. of Physics. Aligarh Muslim University. Aligarh.
- Sh. D. B. Phatangare, Thombre Building, Kopargaon, Distt. Ahmednagar, Maharashtra.
- Sh. S. V. Chittibabu, Director of School Education, Tamilnadu, Madras-6.
- 8. Km. K. Pasticha, Principal, Kanya Mahavidyalaya, Juliundur City.
- Dr. D. N. Gokhale, Daccan Education Society's New English School, Tilak Road, Poona-9.

- 10 Dr. K. Kuruvila Jacob Principal, The Catchdral & John Cannon School, 6, Outram Road, Bombay-1.
- 11 Sh. M. Abdul Ghani Saheb, 429, P. R. Street, Muslim-pur, Vaniyambabi, Distt. North Arcot, Tamil Nadu.
- Sh. K. Sukumaran, Education Officer, Kendriya Vidyalaya Sangthan, Nehru House, Bahadurshah Zafer Marg, New Delhi-1.

K. K. BAKSI, Under Secv.

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd March 1972

Indian National Commission for Co-operation with UNESCO

No. F.13-2/71-INC.—The Government of India is pleased to make the following amendments in the Constitution of the Indian National Commission for Co-operation with Unesconotified in the Government of India Resolution No. F.39-1/66-INC, dated 7th October 1969 as amended vide Resolution No. F.13-2/71-INC, dated 2nd July 1971 —

I Clause III—Office Beaters

For the existing paragraph (a), substitute .-

"(a) The Minister of Education and Social Welfare shall be the President of the Commission. He shall preside over the meetings of the Commission. The Minister of State in the Ministry of Education and Social Welfare shall be the Vice-President of the Commission. In the absence of the President, the Vice-President shall preside over the meetings of the Commission. In the absence of both the President and the Vice-President, the Commission shall elect a Chairman from among the members present to preside over each meeting."

II Clause V-Membership

- (i) Natural Sciences Sub-Commission
- 1. Add after S. No. (6) :
- "(7) One nominee of the Department of Science and Technology"
- 2. Renumber:
- S. Nos. "(7) to (12)" as "S. Nos. (8) to (13)"
- (ii) Cultural Activities and Humanities Sub-Commission
- 1. Add after S. No. (5):
- "(6) One nominee of the Ministry of External Affairs
- "(7) One nominee of the Department of Culture"
- 2. Renumber:
 - S. Nos. "(6) to (10)" as "S. Nos. (8) to (12)"
- III. 1. Insert a new Clause VI--"Steering Committee"

The new Clause shall read as under :-

"VI Steering Committee: For the management of the affairs of the Commission, and in order to keep a watch over the progress of the projects and programmes of the Commission, there shall be a Steering Committee which shall meet as often as necessary but not less than once in two months, and shall consist of the following members:—

- (1) President of the Commission who shall be the Chairman of the Committee.
- (2) Vice-President of the Commission who shall be the Vice-Chairman of the Committee.
- (3) Secretary-General of the Commission.
- (4) Indian Member on the Executive Board of Unesco, if any,
- (5) One representative of the Department of Science and Technology,
- (6) One representative of the Department of Culture.
- (7) One representative of the Ministry of Information and Broadcasting.
- (8) Joint Secretary incharge of Unesco Division in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Education).
- (9)
- (13) Chairman of each of the five Sub-Commissions.

(14) Secretary of the Commission, who shall be Exofficio Secretary of the Committee.

The Chairman or in his absence the Vice-Chairman shall preside over the meetings of the Committee. In the absence of both the Chairman and the Vice-Chairman, the Committee shall elect its own Chairman for each meeting."

2 Renumber:

C Clause VI—Committees" and Clause VII—"Meetings" as Clause VII—"Committees" and Clause VIII—"Meetings" respectively

ORDER

Ondered that the Resolution be communicated to all the individual and institutional members of the Indian National Commission for Co-operation with Unesco, all Ministries and Departments of the Government of India, all the State Governments/Union Territories, Planning Commission, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Prime Minister's Secretariat and President's Secretariat.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India, for general information

T. R. JAYARAMAN, Jt. Secy

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 29th March 1972

RESOLUTION

No DW.II-34(2)/71.—For the existing entry "A well known economist-Member" appearing as serial number 10 in paragraph 2 of this Ministry's Resolution No. DW.II-34(2)/71, dated the 25th January, 1972, setting up a Committee of experts for making scientific investigation into the causes leading to frequent upward revisions in the cost estimates of ringation and multipurpose projects, the following shall be rubstituted:—

'Dr. K. Venugopal, National Council of Applied Feonomic Research, New Delhi-Member'

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of

India, all State Governments/Administration of Union Territories, National Council of Applied Economic Research and the Chauman/Members of the Committee.

A. S. SHARMA Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION (Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 24th March 1972

No. Q-16011(3)/71-WE.—In pursuance of Rule 8 of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers' Education, the Government of India hereby nominates Shri K. D. Hajela. Deputy Secretary, Ministry of Labour and Rehabilitation, as a member of the Board of Governors of the Central Board for Workers' Education vice Shri P. C. Misra, Deputy Secretary, Mimstry of Labour and Rehabilitation, with effect from the 20th March, 1972

No. Q-16011(3)/71-WE.—In pursuance of Rule 3(b) read with Rules 4(iii) and (vi) of the Rules and Regulations of the Ceinal Board for Workers' Education, the Government of India hereby appoints Shri K. D. Hajela, Deputy Secretary, Ministry of Labour and Rehabilitation, as a member on the Central Board for Workers' Education, in place of Shri P C. Misra, Deputy Secretary, Ministry of Labour and Rehabilitation with effect from 20th March, 1972.

2. The following changes shall be made accordingly in the Ministry of Labour and Employment Notification No. E&P 4(24)/58, dated the 12th December, 1958, published in the Gazette of India Part I Section 1, dated December 20, 1958/Agrahayana 29, 1880 as amended from time to time.

For the existing entry: -

"1 Shri P. C. Misra,
Deputy Secretary,
Ministry of Labout and Rehabilitation,
New Delhi."

The following entry shall be substituted -

"1 Shii K. D. Hajela,
Deputy Secretary,
Ministry of Labour and Rehabilitation,
New Delhi."

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.